

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹ 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्राप्त—अ

FZ 680395

हम मुजम्मिल हुसैन एवं अजमल हुसैन क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मोहम्मद याकूब एजुकेशनल सोसाइटी शिवगढ़ बिन्दागंज शानीगंज प्रतापगढ़ शपथपूर्वक निन्वत बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/इस्ट द्वारा एम० वाई० वाई० इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मसी शिवगढ़ शानीगंज प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/इस्ट के नाम शिवगढ़ में गाठा संख्या 663क/0.117ह०, 664ख/0.117ह०, 665ख/0.145ह०, 666ख/0.051ह०, 667ख/0.076ह०, 668ख/0.044ह०, 669ख/0.101ह०, 670ख/0.079ह०, 671ख/0.082ह० व 672ड/0.051ह० यानी कुल रक्या 0.863ह० तथा 660य/0.354ह० में 1/2 मास रक्या 0.177ह० = 11किला रक्या 1.040ह० यानी 10400 वर्गमीटर (कुल रक्या 2.569 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 663क/0.117ह०, 664ख/0.117ह०, 665ख/0.145ह०, 666ख/0.051ह०, 667ख/0.076ह०, 668ख/0.044ह०, 669ख/0.101ह०, 670ख/0.079ह०, 671ख/0.082ह० व 672ड/0.051ह० यानी कुल रक्या 0.863ह० तथा 660य/0.354ह० में 1/2 मास रक्या 0.177ह० = 11किला रक्या 1.040ह० यानी 10400 वर्गमीटर (कुल रक्या 2.569 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन



P.T.O.

मुख्यमन्त्री  
CHAIRMAN

M.Y. Institute of Pharmacy  
Shagari, Raniganj-Pratappur U.P.

प्रबंधक  
MANAGER


M.Y. Institute of Pharmacy  
Shagari, Raniganj-Pratappur U.P.

फार्मसी संरक्षण की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/द्रुरट की बैठक दिनांक 29.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संरक्षण के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवरो के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर रोलाइटी/द्रुरट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अनुरूप ही डिप्लोमा फार्मसी संरक्षण का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश कमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में पश्चिमण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०३० लखनऊ रे सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/प्रविधिकालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संरक्षण/प्रियालय/नानाविद्यालय/आईटीआईआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही नियम में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक ईंकिक एवं अशीकिक स्टाफ ली तैनाती सोसाइटी/द्रुरट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा नियम निर्देशों/आदेशों का मौलीभांति पान लर्हेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता रामित हो दिया गया निर्णय।
13. अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा दी गयी उम्मोदत्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सात्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अग्रिमेव/दस्तावेज़ कमी, कूटरायित वाल्वा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे चिन्ह परिषद द्वारा नियमानुसार कानून रांगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं रघ्य उत्तरदायी होऊँगा।



  
रामेश  
रामेश  
MANAGER  
M.Y. Institute of Pharmacy  
Raigarhi, Raigarhi-Pratapgarh U.P.

  
रामेश  
रामेश  
CHAIRMAN  
M.Y. Institute of Pharmacy  
Raigarhi, Raigarhi-Pratapgarh U.P.